संख्या–3603/बयालिस–2010–1–कालेज/2009

प्रेषक

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अवशेष छः माह हेतु गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ एवं वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को सहायक अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–जी–567/2010–11, दिनांक 13 अक्टूबर ,2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ तथा वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में वचनबद्ध व्यय को वहन करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय लखनऊ स्पोर्ट्स कालेज हेतु सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद में रू0 02,55,06,,000/– (रू0 दो करोड़ ,पचपन लाख , छः हजार मात्र) तथा वेतन भत्ते आदि के लिऐ सहायक अनुदान की मद से रू0 3,34,99,00/– (रू0 तीन करोड़, चौतीस लाख, नियानबे हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष छः माह की द्वितीय किश्त के लिए 20 सहायक अनुदान की मद में रू0 1,27,53,000/– (रू0 एक करोड़, सत्ताईस लाख, तिरपन हजार मात्र) तथा 43 वेतन आदि की मद से रूपया 1,67,49,500/= (रू0 एक करोड़, सरसठ लाख, उन्चास हजार पॉच सौ मात्र) कुल रू0 2,95,02,500/= (रू0 दो करोड़, पंच्चानबे लाख, दो हजार पॉच सौ मात्र) एवं वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर हेतु सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की मद में रू0 01,25,00,000/= (रू0 एक करोड, पच्चीस लाख मात्र) तथा वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की मद में रू0 65,070,00/= (रू0 पैसठ लाख, सात हजार मात्र) की बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष छः माह की द्वितीय किश्त के लिए 20 सहायक अनुदान की मद में रू0 62,50,000/= (रू0 बासठ लाख ,पचास हजार मात्र) तथा 43 वेतनादि की मद में रू0 32,53,500/= (रू0 बत्तीस लाख, तिरपन हजार, पॉच सौ मात्र) की कुल धनराशि रू0 95,03,500/= (रू0 पन्चानबे लाख, तीन हजार पॉच, सौ मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :–

1– उक्त द्वितीय किश्त की धनराशि का व्यय नियमानुसार ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि स्वीकृत मदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी मदो पर व्यय नही की जायेगी और न ही शासन के पूर्व अनुमति के बिना इसका पुर्नविनियोग ही किया जायेगा।

3– उक्त धनराशि का व्यय पूर्व वर्षो की देनदारियो पर नही किया जायेगा।

.....2/

4– उपयुर्क्त अनुदान की धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके कोषाकार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, उ0प्र0 स्पेर्ट्स कालेजेज सोसाईटी , लखनऊ के व्यय हेतु प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ तथा वीर बहादुर सिंह , स्पोर्ट्स गोरखपुर के निवर्तन पर रखी जायेगी।

5– स्वीकृत धनराशि व्यय करने में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत मिव्ययित सम्बन्धी दिशा–निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–16 में दिये गये अद्यावधिक नियम भी लागू होंगे। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र बी0 एम0 13 प्रपत्र पर शासन एवं महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरण का कार्य वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–751/दस–2004–247/2000, दिनांक 5 मार्च, 2004 में निर्धारित प्रकिया एवं व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

8– उक्त आहरण लगभग समान द्वैमासिक किश्तो में ही किया जायेगा।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएँ–104–खेलकूद–आयोजनेत्तर–23–स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान संख्या–02–स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ तथा अनुदान –01 गोरखपुर को 20 सहायक अनुदान/ अंशदान /राज सहायता –43–वेतन भत्ते आदि के लिऐ सहायक अनुदान की सुसंगत के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–ई 5 –1473/दस –2010, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

6.1.11

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3603(1)/बयालिस–2010–तद्दिनांक :–

उपयुर्क्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
3– प्रधानाचार्य, गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ।
4– प्रधानाचार्य, बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज गोरखपुर।
5– सचिव, उ0प्र0 स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाईटी, लखनऊ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5 ।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।